न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– सुमन शर्मा, आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 56/23

मुन्नी पुत्री मेथाराम पत्नि भूराराम जाति सांसी निवासी तेनदेसर तहसील बीदासर हाल निवासी कोडासर बिदावतान तहसील सुजागनढ जिला चूरू

वादीनी

बनाम

1. नानूराम पुत्र मेथाराम जाति सांसी निवासी तेनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. मांगुराम पुत्र मेथाराम जाति सांसी निवासी तेनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू
3. मोहनराम पुत्र मेथाराम जाति सांसी निवासी तेनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू
4. जसोदा पत्नि मालूराम जाति सांसी निवासी तेनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू
5. उदाराम पुत्र मालूराम जाति सांसी निवासी तेनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू
6. कानाराम पुत्र मालूराम जाति सांसी निवासी तेनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू
7. कोजाराम पुत्र मालूराम जाति सांसी निवासी तेनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू
8. मदनलाल पुत्र मालूराम जाति सांसी निवासी तेनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू
9. ईमी पुत्री मालूराम जाति सांसी निवासी तेनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू
10. पुसी पुत्री मालूराम जाति सांसी निवासी तेनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू
11. रामेश्वरी पुत्री मालूराम जाति सांसी निवासी तेनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू
12. सुरता पुत्री मालूराम जाति सांसी निवासी तेनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू
13. सीता पुत्री मालूराम जाति सांसी निवासी तेनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू
14. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक, रेकार्ड संशोधन, विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :–

1. मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादीनी

–: निर्णय :–

दिनांकः– 01-07-2024

वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीनी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 3 तीन के पिता व प्रतिवादी संख्या 4 चार के ससुर व प्रतिवादी संख्या 5 पांच ता 13 तेरह के दादा मेंथीया उर्फ मेथाराम पुत्र कालु जाति सांसी निवासी तेनदेसर के खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

उपभोग का खेत खसरा संख्या 248 दो सो अडतालीस तादादी 9 नो बीघा 15 पन्द्रह बिश्वा भूमि वाके रोही तेनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू में खातेदारी का स्थित है। जिसे आगे वादगत भूमि कहा गया है। मेथाराम के दो पत्नि तीजा व सुगनी थी। मेथाराम के छः पुत्र व एक पुत्री पैदा हुई थी। मेथाराम की पहली पत्नि तीजा से पांच पुत्र मालुराम, मोहनराम, नानूराम, मांगुराम, भंवराराम पैदा हुए तथा दूसरी पत्नि सुगनी से एक पुत्र लालुराम व एक पुत्री मुन्नी वादीनी पैदा हुई। मेथाराम व उसकी दोनों पत्नि तीजा, सुगनी का स्वर्गवास हो चुका है। मेथाराम का पुत्र भंवराराम कुंवारा फौत हो चुका है। वर्तमान में खसरा संख्या 248 दो सो अडतालीस तादादी 9 नो बीघा 15 पन्द्रह बिश्वा भूमि के नये खसरा संख्या 1080/248 एक हजार अस्सी बट्टा दो सो अडतालीस तादादी 1.0580 एक दशमलव जीरो पांच आठ जीरो हेक्टेयर लालुराम पुत्र मेथाराम के नाम से व खसरा संख्या 1081/248 एक हजार इकयासी बट्टा दो सो अडतालीस तादादी 1.3152 एक दशमलव तीन एक पांच दो हेक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दो व प्रतिवादी संख्या 4 चार ता 13 तेरह के नाम से बने है। मेथाराम व उसकी दोनों पत्नि तीजा, सुगनी व एक पुत्र भंवराराम के कुंवारा फौत हो जाने पर वादगत भूमि में वादीनी का 5/32 पांच बट्टा बतीस हिस्सा कायम हो गया। वादगत भूमि वादीनी के पिता के नाम होने से वादीनी की पुस्तेनी भूमि है। वादीनी का जन्म अपने पिता के जीवनकाल में ही हो गया था। प्रतिवादी संख्या 4 चार का पति व प्रतिवादी संख्या 5 पांच ता 13 तेरह का पिता मालुराम परिवार का कर्ताधर्ता होने के कारण मेथाराम के स्वर्गवास के बाद वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में बाला बाला राजस्व कर्मचारीयों से मिलिभगत करके केवल छः पुत्रों मालुराम, मोहनराम, नानूराम, मांगुराम, भंवराराम, लालुराम के नाम अंकित करवा ली। वादगत खेत वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 13 तेरह के संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैत्रिक कोपार्सनरी सम्पति का है। वादगत खेत वादीनी का पुस्तेनी खेत है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत पैत्रिक सम्पति में पुत्र पुत्री का जन्म से ही हक हिस्सा कायम हो जाता है। इसलिए वादगत खेत में वादीनी का 5/32 पांच बट्टा बतीस हिस्सा कायम हो गया। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 13 तेरह के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित वादगत खेत की खातेदारी वादीनी के मुकाबले शुन्य है। घोषित किया जावे कि वादगत खेत का वर्तमान राजस्व रेकार्ड वादीनी के मुकाबले शुन्य है तथा वादीनी वादगत खेत में 5/32 पांच बट्टा बतीस हिस्सा भूमि की खातेदार कृषक है। मेथाराम के स्वर्गवास के बाद वादगत खेत में प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 13 तेरह के साथ ही वादीनी का 5/32 पांच बट्टा बतीस हिस्सा नियत हो गया। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 13 तेरह के नाम दर्ज खातेदारी गलत है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 13 तेरह के नाम वादगत खेत की दर्ज खातेदारी को संशोधित किया जाकर वादीनी के नाम 5/32 पांच बट्टा बतीस हिस्सा की खातेदारी दर्ज कर राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

रेकार्ड में संशोधन फरमाया जावे। वादीनी खसरा संख्या 1080/248 एक हजार अस्सी बट्टा दो सो अडतालीस तादादी 1.0580 एक दशमलव जीरो पांच आठ जीरो हेक्टेयर में अपनी 5/32 पांच बट्टा बतीस हिस्सा भूमि खातेदार लालुराम पुत्र मेथाराम से प्राप्त चुकी है जो वादीनी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में है। वादगत खेत की संयुक्त खातेदारी भूमि का "बाई मिटस एण्ड बाउन्डस" के आधार पर विभाजन किया जाकर वादगत भूमि में उतरी साईड की वादीनी की 5/32 पांच बट्टा बतीस हिस्सा भूमि की खातेदारी पृथक अंकित की जाकर लगान का विभाजन किया जावे। वादीनी ने प्रतिवादी संख्या 1 एक'ता 13 तेरह से दिनांक 01.11.2023 को मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेत की खातेदारी में संशोधन करवाकर संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन कराये परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 13 तेरह ने साफ इन्कार कर दिया ओर वादीनी को ऐलानीया तौर पर धमकियां दी की वोह वादीनी को उसके हिस्से पांति बंटवारा के खेत से जबरन बलपूर्वक बेदखल करके कब्जा स्वंय करेगे या किसी अन्य का करायेगे। इस दोषपूर्ण कृत्य में प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 13 तेरह सफल हो गये तो वादीनी को अपने हिस्से की खातेदारी भूमि से वंचित होना पडेगा जिसकी वादीनी को अपूर्तिय क्षति होगी, जिसकी पूर्ती किसी भी सुरत में पूर्ण नहीं हो पायेगी। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 13 तेरह को जरीये चिर निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द फरमाया जावे कि वादगत खेत का जब तक विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक वादगत खेत के किसी हिस्से या अंश को विक्रय, हस्तांतरण, रहन, बैय आदि नहीं करें ओर ना ही वादीनी को उसके हिस्से की भूमि से जबरन बलपूर्वक बेदखल कर कब्जा स्वंय करे या किसी अन्य का कराये। ना ही वादीनी को उसके हिस्से की भूमि को काश्त करने में किसी प्रकार की बाधायें, रूकावटे आदि पैदा स्वयं करे या किसी अन्य से कराये जिससे वादीनी के वैध कानूनी अधिकारों के विपरीत असर पडे। वादगत खेत वादीनी के संयुक्त खातेदारी एवं पैत्रिक कापार्सनरी सम्पति का खेत है एंव कब्जा काश्त में होने से वादीनी को वादाधार वाद प्राप्त है तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 13 तेरह द्वारा ऐलानियां धमकियां देने से वादीनी को वाद हेतुक प्राप्त है। घोषणात्मक वाद में राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार है। राजस्थान सरकार के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने के कारण एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 13 तेरह द्वारा वादीनी को जबरन बेदखल करने की ऐलानियां धमकियां दिये जाने के कारण वाद तुरन्त पेश किया जाना आवश्यक हो गया है इसलिए राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का नोटिस दिया जाना संभव नहीं है इसलिए वादीनी द्वारा दावा पेश करने के लिए अलग से धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत न्यायालय से अनुमति लेकर यह दावा पेश किया जा रहा है। खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

तीजा पत्नि मेथाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 13 तेरह है जो वाद में पक्षकार संयोजित है। वाद वादीनी घोषणात्मक रेकार्ड संशोधन संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम तेनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादीनी निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 बावजुद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। वादी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादी वकील ने दौराने बहस दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

वादी वकील की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जो अभिवचन वादीनी द्वारा वाद में किए गए है उसका विरोध इस न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है। इस कारण इस वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। वादीनी वादगत भूमि खसरा संख्या 1081/248 तादादी 1.3152 हेक्टेयर भूमि में अपना नाम दर्ज करवाकर विभाजन करवाना चाहती है। जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः वादीनी के वाद को प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम तेनदेसर के खसरा संख्या 1081/248 तादादी 1.3152 हेक्टेयर भूमि में वादीनी को 5/32 हिस्सा भूमि की खातेदार घोषित की जाती है। वादगत भूमि में वादीनी 5/32 हिस्सा भूमि की खातेदार है जिसका विभाजन करवाने की अधिकारी है। तहसीलदार बीदासर से वादगत भूमि में वादीनी को 5/32 हिस्सा भूमि की खातेदार मानते हुए विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। इस हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 01-07-2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

प्रारम्भिक डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानी)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बीदासर व इजलास सुमन शर्मा, आर.ए.एस.
मुन्नी बनाम नानूराम आदि
दावा घोषणात्मक, संशोधन, विभाजन व चिर निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्ति बाबत।

मुकदमा न.:– 56/23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु.....हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादीनी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्रारम्भिक डिकी दी जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम तेनदेसर के खसरा संख्या 1081/248 तादादी 1.3152 हेक्टेयर भूमि में वादीनी को 5/32 हिस्सा भूमि की खातेदार घोषित की जाती है। वादगत भूमि में वादीनी 5/32 हिस्सा भूमि की खातेदार है जिसका विभाजन करवाने की अधिकारी है। तहसीलदार बीदासर से वादगत भूमि में वादीनी को 5/32 हिस्सा भूमि की खातेदार मानते हुए विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

चीज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह.....
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक.....को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01-07-2024

मुहर

दस्तखत .....
ओहदा .....

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बावत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)